

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 132/2020/दावा 136 एलआरएक्ट

1. प्रेमसुख उर्फ प्रेमचन्द कुमावत पुत्र कज्जुराम जाति कुमावत निवासी भोजा की ढाणी तन श्यामपुरा पूर्वी तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

—वादी

ब नाम

1. राज्य सरकार (भूमिधारी) जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

— प्रतिवादी

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरुस्ती

उपरिस्थिति—

1. श्री राजेन्द्रसिंह शेखावत वकील वादी की ओर सैं।

निर्णय


दिनांक — 20.10.2020

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 483/273, 2 लगायत 5, 66, 242, 470/262, 473/263, 476/243, 478/264, 480/266, 482/244, 484/273, 487/272, 489/270, 491/271, 492/241, 495/241, 274 लगायत 276 वाके ग्राम भोजा की ढाणी पटवार हल्का श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। जिसका वादी रिकार्डेड खातेदार है तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर काबिज काश्तकार हैं। वादी के जन्म के पश्चात बाल्यावस्था में वादी को घर में प्यार से माता पिता व दादा दादी व अन्य परिवारजन द्वारा प्रेमसुख के नाम से पुकारना शुरू कर दिया था तथा बाल्यावस्था में घर में प्रेमसुख के नाम से पुकारने के कारण राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम प्रेमसुख दर्ज करवा दिया गया। तत्पश्चात परिवारजन द्वारा वादी का नाम अन्य सरकारी रिकार्ड में प्रेमचन्द कुमावत दर्ज करवा दिया गया जबकि प्रेमसुख व प्रेमचन्द कुमावत दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। वादी के अन्य सरकारी कार्ड परिवार राशन कार्ड आधार कार्ड बैंक पास बुक भामाशाह कार्ड में वादी का नाम प्रेमचन्द कुमावत बदस्तुर अंकित चला आ रहा है। वादी के प्रेमसुख नाम का अन्य कोई भाई नहीं है। ग्राम पंचायत श्यामपुरा द्वारा दिनांक 02.09.2020 को जारी पहचान प्रमाण पत्र में भी सरपंच द्वारा प्रेमसुख व प्रेमचन्द कुमावत दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम प्रेमसुख दर्ज है जो कि उपरोक्त वजह से सहवन से दर्ज चला आ रहा है जबकि अन्य समस्त दस्तावेजात व रिकार्ड में वादी का नाम प्रेमचन्द कुमावत दर्ज है। इसलिए वादी का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेज में भिन्न होने के कारण वादी अपने हिस्से की खातेदारी भूमि को विकसित करने की


उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ


कार्यवाही करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है जिससे वादी को अपूर्तनीय क्षति हो रही है इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम प्रेमचन्द कुमावत दर्ज करवाने की उद्घोषणा की रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी है। वाद कारण आज से करीब 10 रोज पूर्व वादी द्वारा अपनी भूमि को विकसित करने के लिए बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण लेने की कार्यवाही हेतु बैंक में जाने पर भिन्न नाम होने के कारण राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती होने के पश्चात ही किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण देने एवं रिकार्ड में दुरुस्ती करवाये बिना किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण नहीं मिलने के कारण उत्पन्न हुआ है जो कि वादकारण क्षण-प्रतिक्षण निरन्तर रूप से जारी है। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 483/273, 2 लगायत 5, 66, 242, 470/262, 473/263, 476/243, 478/264, 480/266, 482/244, 484/273, 487/272, 489/270, 491/271, 492/241, 495/241, 274 लगायत 276 वाके ग्राम भोजा की ढाणी पटवार हल्का श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादी का नाम प्रेमसुख पुत्र कज्जा के स्थान पर सही व वास्तविक नाम प्रेमसुख उर्फ प्रेमचन्द कुमावत पुत्र कज्जुराम उद्घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादी का नाम प्रेमसुख पुत्र कज्जा के स्थान पर सही व वास्तविक नाम प्रेमसुख उर्फ प्रेमचन्द कुमावत पुत्र कज्जुराम उद्घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।
3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि ग्राम भोजा की ढाणी जमाबन्दी संवत् 2076-79 के खाता सं० 20, 94, 59, 100 में प्रार्थी का नाम प्रेमसुख पुत्र कज्जा जाति कुमावत सा० देह दर्ज है। जबकि प्रार्थी के आईडी पहचान पत्र आधार कार्ड पैनकार्ड राशन कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम प्रेमचन्द पुत्र कज्जा जाति कुमावत दर्ज है। मौके पर उपलब्ध लोगों से पुछताछ करने पर बताया गया है कि प्रेमसुख पुत्र कज्जा तथा प्रेमचन्द पुत्र कज्जा एक ही व्यक्ति है। आवेदक का नाम प्रेमसुख उर्फ प्रेमचन्द पुत्र कज्जा किया जाना उचित है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा स्वीकार योग्य है। वादी का दावा उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरुस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर


उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

483/273, 2 लगायत 5, 66, 242, 470/262, 473/263, 476/243, 478/264,
480/266, 482/244, 484/273, 487/272, 489/270, 491/271, 492/241,
495/241, 274 लगायत 276 वाके ग्राम भोजा की ढाणी पटवार हल्का श्यामपुरा
तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादी का नाम प्रेमसुख पुत्र कज्जा के स्थान
पर प्रेमसुख उर्फ प्रेमचन्द पुत्र कज्जा दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष
जमाबंदी बदस्तूर रहे। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार
दांतारामगढ को तहशीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 20.10.2020 को
खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ, सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रेमसुख उर्फ प्रेमचन्द

बनाम

राज्य सरकार

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरुस्ती

मुकदमा नं0 132/दावा सन् 2020

निर्णय दिनांक. 20.10.2020


यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी श्री राजेन्द्रसिंह शेखावत मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 483/273, 2 लगायत 5, 66, 242, 470/262, 473/263, 476/243, 478/264, 480/266, 482/244, 484/273, 487/272, 489/270, 491/271, 492/241, 495/241, 274 लगायत 276 वाके ग्राम भोजा की ढाणी पटवार हल्का श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में खातेदार वादी का नाम प्रेमसुख पुत्र कज्जा को दुरुस्त कर उसके स्थान पर प्रेमसुख उर्फ प्रेमचन्द पुत्र कज्जा संशोधित करने की उद्घोषणा की जाती है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20.10.2020 को जारी की गई।

मोहर



दस्तखत ओहदा

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

विवरण	रुपया	पैसा	मुदायलह	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह संकृत	-	-	महन्ताना वकील पर		
महन्ताना वकील	-	-	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	-	-	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	-	-	वावत इजराय हुक्मनामा		
वावत इजराय हुक्मनामा	-	-	मुत्तफरिफ	0	00
मुत्तफरिफ	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीफेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

32/13
(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ